8- सामान्य तौर पर आरक्षी निरीक्षक की कोटि में आपसी वरीयता वही होगा जो क्रम अवर निरीक्षक की कोटि में था । यदि किसी पदाधिकारी को कोटि में तदर्थ प्रोन्नति मिला होगा तो वह वरीयता का आधार नहीं होगा ।

9- निचली पंक्ति में सेवा सम्पुष्टि के बिना उच्च पद पर प्रोन्नति नहीं होगी ।

29/3/97

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 1876/पी-2, महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय,
7-23-3-97 पटना, दिनांक- 29 मार्च, 1997.

प्रतिलिपि:-

1- सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे/विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/निगरानी/खाद्य/एम०पी०टी०सी०सी०/सी०टी०एस०/विद्युत कोषांग सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

2- सभी आरक्षी उप-महानिरीक्षक, रेलवे/विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/निगरानी/पी०टी०सी०/विद्युत कोषांग सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

3- महानिरीक्षक (रेलवे/विशेष शाखा/प्रोविजन/अपराध अनुसंधान विभाग/निगरानी/प्रशिक्षण/विद्युत कोषांग/खाद्य सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

29/3/97

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,
पटना ।

बृजेन्द्र/27-3

29/3